सत्यमेव जयते

रोज़गार समाचार

www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

साप्ताहिक

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
(वार्षिक शुल्क : ₹ 350)

खण्ड 37 अंक 42 पृष्ठ 56 | नई दिल्ली 19 -25 जनवरी 2013 | ₹ 8.00

रोज़गार सारांश

के.औ.सु.ब.

● केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को 464 प्रधान आरक्षक (अनुसचिवीय) की आवश्यकता
अंतिम तारीख : 26.02.2013

सी.ए.टी.एस.

● सेंट्रलाइज्ड एक्सिडेंट एंड ट्रॉमा सर्विसेस, नई दिल्ली को 398 एम्बुलेंस पैरामेडिक तथा एम्बुलेंस ड्राइवर की आवश्यकता
अंतिम तारीख : 31.01.2013

बैंक

● आर्यावर्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लखनऊ को 395 अधिकारी स्केल-III, अधिकारी स्केल-II, अधिकारी स्केल-I एवं कार्यालय सहायक (बहुप्रयोजनीय) की आवश्यकता
अंतिम तिथि 30.01.2013

आयुध निर्माणी

● आयुध निर्माणी, मेदक को 90 श्रमिकों की आवश्यकता
अंतिम तिथि : प्रकाशन के 21 दिन बाद

आसूचना ब्यूरो

● आसूचना ब्यूरो को 76 सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी-II/ तक. एवं सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी-II/डब्ल्यू.टी. की आवश्यकता
अंतिम तिथि : प्रकाशन के 30 दिन बाद

क.च.आ.

● कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सम्मिलित स्नातक स्तर परीक्षा, 2013 की अधिसूचना जारी
अंतिम तिथि : 15.02.2013

बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सशस्त्र सेनाओं, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों की अन्य रिक्तियों के लिए अंदर के पृष्ठ देखें.

महत्वपूर्ण सूचना

नई दर

रोज़गार सामाचार में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए डी.ए.वी.पी. दरें जनवरी, 2013 से संशोधित करके 160.03 रु. प्रति वर्ग सें.मी. कर दी गई है. सभी विज्ञापनदाताओं से अनुरोध है कि वे इसका ध्यान रखें और भुगतान तदनुसार करें.

हुनर से रोज़गार !

विकलांग-जनों को रोज़गार

—अरुण सी.राव

पाठकों को सहर्ष सूचित किया जाता है कि हम इस अंक से विकलांग-जनों के लिए रोज़गार के अवसरों की जानकारी देने हेतु यथाप्रस्तावित 'हुनर से रोज़गार' नामक कॉलम शुरू करने जा रहे हैं. यह कॉलम वैकल्पिक माह के अंतराल में प्रकाशित किया जाएगा. समाज के इस वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हमारे पाठकों से सुझाव आमंत्रित हैं.

जब मैं विकलांग-जनों के संबंध में प्रयुक्त ''अधिकारिता'' या ''वित्तीय स्वतंत्रता'' शब्द सुनता हूं तो कभी-कभी मुझे ये चलने से परे लगते हैं. सरकार ने विकलांग-जनों के लिए सीटों के 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है और उन्हें अत्यधिक रोज़गार योग्य दिखाई देने वाली तीन अक्षमताओं अर्थात् बधिर, नेत्रहीन एवं गतिशीलता बाधित या अस्थि बाधित के लिए निर्धारित किया है. यह व्यवस्था 1977 में की गई थी.

विकलांग-जनों ने यह 3 प्रतिशत आरक्षण लिया है और आई.ए.एस.तथा समवर्गी सेवाओं सहित सभी सरकारी पदों को इसमें शामिल करने के लिए 'मूल उद्देश्य' तर्क दिया है. यह इस अवधारणा में व्यापक बदलाव था कि केवल तीसरे एवं चौथे ग्रेड के पद विकलांग-जनों के लिए खुले हैं और उच्च पदों पर उनके लिए कोई आरक्षण नहीं होगा. विकलांग-जनों के लिए पदों का निर्धारण 3 प्रतिशत आरक्षण का एक अन्य घटक था और इसे भी विकलांग-जनों ने भेदभावपूर्ण कह कर चुनौती दी तथा वे कहते हैं कि वे इसके बजाय रोज़गार लेने के प्रयास करेंगे और यदि वे किसी विशेष रोज़गार को करने में सक्षम नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें वह रोज़गार न दिया जाए.

3 प्रतिशत आरक्षण विकलांग-जनों के रोज़गार के लिए एक बड़ा उत्प्रेरक रहा है. सभी राष्ट्रीयकृत संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं बैंकों में 3 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से उपलब्ध अवसरों का स्तर बढ़ा है और यद्यपि की जाने वाली भर्ती कहीं भी 3 प्रतिशत तक नहीं पहुंची है, किंतु कम से कम इसके प्रयास तो जारी है. सूचना अधिकार अधिनियम के लागू होने के साथ ही अब व्यक्तियों को किसी भी सरकारी विभाग या संगठन से, उनके यहां विकलांग कर्मचारियों की संख्या, लिंग, अक्षमता की प्रकृति तथा रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए अभियोजन की स्थिति की जानकारी मांगने की शक्ति प्राप्त है.

तीन प्रतिशत आरक्षण का उपयोग कम होने का एक मूल कारण है और विकलांग-जनों की शिक्षा का अभाव. 2007 तक यह देखा गया कि चलने-फिरने में विकलांग-जनों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश उपलब्ध नहीं था, पुस्तकालयों में नेत्रहीन व्यक्तियों के अध्ययन के लिए ब्रेल पुस्तकें, वार्ता-पुस्तकें या कोई डेजी पावर्ड साधन नहीं था तथा बधिर व्यक्तियों के लिए बारहवीं कक्षा तक के स्कूलों की संख्या 12 थी. भारतीय विश्वविद्यालयों के एक सर्वेक्षण से इस कड़वे सच का पता लगता है कि विश्वविद्यालयों में विकलांग छात्रों की संख्या 0.1 प्रतिशत भी नहीं थी और अधिकांश विद्यालयों में कोई भी विकलांग छात्र नहीं था.

जब यह सर्वेक्षण विकलांग व्यक्ति व्यावसायिक पुनर्स्थापन केन्द्र में दिया गया तो इसके परिणाम बेहतर रहे और विभिन्न ट्रेडों में पढ़ रहे व्यक्तियों की अच्छी संख्या देखी गई. तथापि इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं है कि सेवारत विकलांग-जनों की संख्या भी बेहतर है. यही स्थिति तथाकथित 'विशेष रोज़गार कार्यालय' की थी, जहां रोज़गार के अवसर निराशाजनक रूप में कम थे.

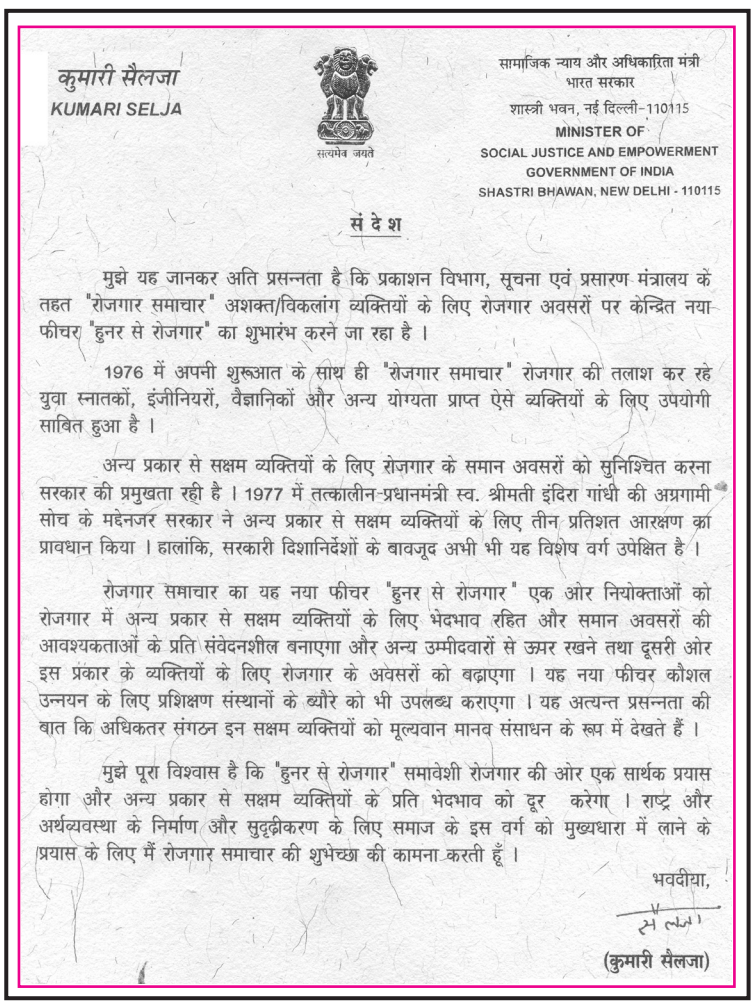

कुमारी सैलजा
KUMARI SELJA

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110115
MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
SHASTRI BHAWAN, NEW DELHI - 110115

सत्यमेव जयते

संदेश

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता है कि प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत "रोजगार समाचार" अशक्त/विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसरों पर केन्द्रित नया फीचर "हुनर से रोजगार" का शुभारंभ करने जा रहा है ।

1976 में अपनी शुरूआत के साथ ही "रोजगार समाचार" रोजगार की तलाश कर रहे युवा स्नातकों, इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और अन्य योग्यता प्राप्त ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयोगी साबित हुआ है ।

अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों के लिए रोजगार के समान अवसरों को सुनिश्चित करना सरकार की प्रमुखता रही है । 1977 में तत्कालीन-प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इंदिरा गांधी की अग्रगामी सोच के मद्देनजर सरकार ने अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया । हालांकि, सरकारी दिशानिर्देशों के बावजूद अभी भी यह विशेष वर्ग उपेक्षित है ।

रोजगार समाचार का यह नया फीचर "हुनर से रोजगार" एक ओर नियोक्ताओं को रोजगार में अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों के लिए भेदभाव रहित और समान अवसरों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाएगा और अन्य उम्मीदवारों से ऊपर रखने तथा दूसरी ओर इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा । यह नया फीचर कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के ब्यौरे को भी उपलब्ध कराएगा । यह अत्यन्त प्रसन्नता की बात कि अधिकतर संगठन इन सक्षम व्यक्तियों को मूल्यवान मानव संसाधन के रूप में देखते हैं ।

मुझे पूरा विश्वास है कि "हुनर से रोजगार" समावेशी रोजगार की ओर एक सार्थक प्रयास होगा और अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को दूर करेगा । राष्ट्र और अर्थव्यवस्था के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए समाज के इस वर्ग को मुख्यधारा में लाने के प्रयास के लिए मैं रोजगार समाचार की शुभेच्छा की कामना करती हूँ ।

भवदीया,

(कुमारी सैलजा)

विकलांग-जनों के रोज़गार पर विशेष कार्य की रूपरेखा प्रस्तुत करने वाली ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तथा निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाली एक योजना के साथ ही रोज़गार परिदृश्य में थोड़ी प्रगति आनी शुरू हुई. शिक्षा तथा परिसरों में प्रवेश को प्रोत्साहन एवं सूचना तक पहुंच से शैक्षिक संस्थाओं में विकलांग-जनों के प्रति व्यवहार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है और अभी कई और सुधार किए जाने हैं, एक बेहतर शिक्षा प्रणाली की दिशा में एक निश्चित गति आई है.

वर्तमान रोज़गार परिदृश्य में वर्तमान शैक्षिक सुधारों तथा कानूनों एवं दिशानिर्देशों के सकारात्मक प्रभावों की झलक दी जानी चाहिए. सर्व शिक्षा अभियान इनमें महत्वपूर्ण था, जहां स्थानीय स्कूल अपने आसपास के क्षेत्रों के छात्रों को स्वीकार करते थे और विकलांग बच्चों से कोई भेदभाव नहीं किया जाता था. इससे विकलांग बच्चों के प्रवेश में कई गुना वृद्धि हुई और भविष्य में इन बच्चों के रोज़गार की व्यापक संभावनाएं दिखती हैं.

निजी क्षेत्र में कई नियोक्ता विकलांग कर्मचारियों को अब एक अत्यधिक विशेष संसाधन के रूप में देखते हैं, कम संघर्ष, कंपनी के प्रति अत्यधिक निष्ठा, उच्च प्रदर्शन तथा नियमित कार्य-प्रवृत्ति ने कई निजी कंपनियों को, विकलांग-जनों को भर्ती करने के अभियान चलाने के लिए प्रोत्साहित किया है. हाल ही के वर्षों में विकलांग-जनों के लिए कार्य-अवसरों के कई नए क्षेत्र सामने आए हैं, जिनमें आतिथ्य उद्योग तथा खाद्य एवं पेय उद्योग, सुविधा प्रबंधन उद्योग आदि शामिल हैं, निजी क्षेत्र के कई संगठनों जैसे सी.आई.आई. एवं अन्य अग्रणी संगठनों ने विकलांग-जनों की भर्ती करने पर बल दिया है और अपने निजी सदस्यों में व्यवसाय समुदाय में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ने तथा समान अवसर देने

(शेष पृष्ठ 56 पर)

विकलांग-जन कार्य विभाग

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

विकलांग-जन कार्य विभाग की स्थापना, विकलांग व्यक्तियों की अधिकारिता के लिए 12 मई, 2012 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में की गई थी. 2001 की जनगणना के अनुसार देश में विकलांग व्यक्तियों की संख्या 2.2 करोड़ के लगभग थी.

विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 में ''विकलांग व्यक्ति''का अर्थ है किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित कम से कम 40 प्रतिशत किसी विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति. ये अशक्तताएं हैं : (क) दृष्टिहीनता, (ख) कम दृष्टि, (ग) लेप्रोसी-क्योर्ड (ग) श्रवण-बाधा, (ड.) लोकोमोटर निःशक्तता, (च) मानसिक मंदता (छ) मानसिक विक्षिप्त

राष्ट्रीय स्वलीनता, सेरेब्रल पल्सी, मानसिक मंदता एवं बहु-विकलांगता ग्रस्त जन कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 में विकलांग व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति से जो स्वलीनता, सेरेब्रल पल्सी, मानसिक मंदता में से किसी स्थिति अथवा दो या उनसे अधिक ऐसी स्थितियों से ग्रस्त है तथा इनमें गंभीर बहु-विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति भी शामिल हैं.

(पृष्ठ 1 का शेष)

विकलांग-जनों को...

वाले नियोक्ता बनने का प्रचार किया है.

सरकार का रोज़गार का अपना 3 प्रतिशत कोटा पूरा करने का घोषणापत्र है और शिक्षा की दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निश्चित रूप से यह उच्च संभावना है कि उपलब्ध रोज़गार रिक्तियों को भरने के लिए उम्मीदवार उपलब्ध होंगे. सरकार, कई मंदी एवं कठोर उपायों के साथ कई क्षेत्रों का निजीकरण करके तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को बेच कर एक छोटे एवं अधिक किफायती कटौती कर रही है. इसी तरह बैंकिंग उद्योग ऑटोमेशन एवं कम्प्यूटरीकरण पर बल दे रहा है और इस तरह कार्मिकों की आवश्यकता को कम कर रहा है.

विकलांग-जनों को अब उपलब्ध शैक्षिक अवसर अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जो उन्हें वास्तव में लाभ दे सकें और जहां बधिर या दृष्टिबाधित व्यक्तियों की पहुंच हो. यद्यपि इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है, किंतु जब तक सभी शैक्षिक संस्थानों में, शैक्षिक आवश्यकताओं-चाहे वे स्कूल, कॉलेज या व्यावसायिक पाठ्यक्रम स्तर की हों, को पूरा करने की क्षमता नहीं हो जाती, हमें बहुत बड़ी दूरी तय करनी है. जब तक यह बहु-अपेक्षित विकास नहीं हो जाता तब तक विकलांग-जनों का रोज़गार उपलब्ध रिक्तियों के साथ गति नहीं बनाए रख सकेगा.

एक ओर तो रोज़गार की तलाश कर रहे व्यक्ति निरंतर सामने आते रहेंगे, वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा विज्ञापित रिक्तियों के लिए मुख्य रूप से क्षेत्रीय, आंचलिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उम्मीदवार प्राप्त नहीं होंगे.

(लेखक एक बधिर बच्चे के पिता हैं और विकलांग तथा बधिर व्यक्तियों के लिए कार्यरत एक एन.जी.ओ. से जुड़े हुए हैं. ई-मेल:aruncrao@gmail.com)

राष्ट्रीय संस्थान

विकलांग-जन कार्य विभाग के आठ राष्ट्रीय संस्थान हैं जो विशिष्ट प्रकृति की विकलांगताओं के प्रति समर्पित हैं इन संस्थानों के क्षेत्रीय केंद्र आर सी/रीजनल चैप्टर्स और कम्पोजिट क्षेत्रीय केंद्र है.

क्र.सं.	प्रकृति	राष्ट्रीय संस्थान
1.	लोकोमोटर डिसैबिलिटी	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग जन संस्थान, कोलकाता
2.	लोकोमोटर डिसैबिलिटी	पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली
3.	लोकोमोटर डिसैबिलिटी	स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्स्थापन प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक
4.	श्रवण बाधित	अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग जन संस्थान, मुंबई
5.	श्रवण बाधित	भारतीय संकेत भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली, इ.गा.रा.खु.वि.वि. के सहयोग में
6.	मानसिक मंदता	राष्ट्रीय मानसिक विकलांग जन संस्थान, सिकंदराबाद
7.	दृष्टिबाधित	राष्ट्रीय दृष्टिविकलांग जन संस्थान, देहरादून
8.	बहु-विकलांगता	राष्ट्रीय बहु-विकलांग जन अधिकारिता संस्थान, चेन्नै.

महत्वपूर्ण संपर्क विभाग/व्यक्ति

विभाग

स्तुति कक्कड़

सचिव

टेलीफोन : 011-23389164

फैक्सः 011-23389552

ई-मेल :secretaryda-msje@nic.in

संगठन

श्री पी. के. पिंचा

नि:शक्त जनों के मुख्य आयुक्त, नई दिल्ली

टेलीफोन : 011-23383907

फैक्स : 011-23386006

ई-मेल : ccpd@nic.in

वेबसाइट : www.ccdisabilities.nic.in

श्रीमती पूनम नटराजन

अध्यक्ष, राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली

टेलीफोनः 011-43187810

फैक्स नं : 011-43187880

ई-मेल : contactus@thenationaltrust.in

वेबसाइट : www.thenationaltrust.in

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) यान कार्डोजो

अध्यक्ष, आरसीआई, नई दिल्ली

टेलीफोनः 011-26532408

फैक्स नं :011-265342916

ई-मेल : chairman@rehabcouncilindia.org

वेबसाइट : www.rehabcouncil.nic.in

श्री जी. नारायण राव

सीएमडी, एएलआईएमसीओ, कानपुर, उत्तर प्रदेश

टेलीफोनः 0512-2252614,

फैक्स नं : 0512-2770617

ई-मेल : cmdalimco@artlimbs.com

वेबसाइट : www.artlimbs.com

श्री हर्ष भाल

सीएमडी, एनएचएफडीसी, फरीदाबाद, हरियाणा

टेलीफोनः 0129-2280335

फैक्स नं : 0129-2284371

ई-मेल : harshbhal2002@yahoo.com

वेबसाइट : www.nhfdc.nic.in

डॉ. धर्मेन्द्र कुमार

निदेशक, पीडीयूआईपीएच, नई दिल्ली

टेलीफोनः 011-23232403

फैक्स नं : 011-23239690

ई-मेल : diriph@nic.in

वेबसाइट : www.iphdelhi.in

डॉ. धर्मेन्द्र कुमार
ऑफिशि. निदेशक, एनआईआरटीएआर, कटक, ओडिशा
टेलीफोनः 0671-2805552, 2805856
फैक्स नं : 0671-2805862
ई-मेल : nirtar@ori.nic.in
वेबसाइट : www.nirtar.nic.in

डॉ. आर. रंगासायी
ऑफिश निदेशक, एनआईएचएच, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
टेलीफोनः 033-25311248, 25310789
फैक्स नं : 033-25318379
ई-मेल : mail@nioh.in/director@nioh.in
वेबसाइट : www.nioh.in

श्रीमती अनुराधा डालमिया
निदेशक, एनआईवीएच, देहरादून, उत्तराखंड
टेलीफोनः 0135-2744491
फैक्स नं : 0135-2748147, 2734157
ई-मेलः anuradhamohit@gmail.com.
वेबसाइट : www.nivh.in

डॉ. आर. रंगासायी
निदेशक, एनआईएचएच,मुंबई, महाराष्ट्र
टेलीफोनः 022-26422638,
फैक्स नं : 022-26404170
ई-मेल : ayjnihhmum@gmail.com
वेबसाइटः www.ayjnihh.nic.in/jobs-fordeaf.nic.in

श्री टीसी शिव कुमार
निदेशक, एनआईएमएच, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश
टेलीफोनः 040-27759267
फैक्स नं : 040-27758817
ई-मेल : director.nimh@gmail.com
वेबसाइट : www. nimhindia.org

डॉ. (श्रीमति) नीरधा चन्द्र मोहन
निदेशक, एनआईईपीएमडी, चेन्नै, तमिलनाडु
टेलीफोनः 044-27472104
फैक्स नं : 044-27472389
ई-मेल : niepmd@gmail.com
वेबसाइट : www.niepmd.tn.nic.in

प्रोफेसर पीआर रामानुजम
निदेशक (प्रभारी), आईएसएलआरटीसी नई दिल्ली
टेलीफोनः 011-29571116, 29571102
ई-मेल : islrtc@ignou.ac.in
वेबसाइट : www.ignou.ac.in

जम्मू-कश्मीर पर विशेष श्रृंखला

देश में पिछले एक दशक में उच्च आर्थिक विकास की बदौलत शिक्षित युवाओं के लिए देश के प्रमुख शहरों और द्वितीय स्तर के शहरों में रोज़गार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं. जम्मू-कश्मीर राज्य में भी उच्च आर्थिक विकास हुआ है किंतु यह विकास आबादी, विशेषकर राज्य के युवाओं की आकांक्षाएं पूरी नहीं कर पाया है. जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रोजगार समाचार फरवरी/मार्च 2013 में जम्मू-कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला के संदेश के साथ एक विशेष शृंखला शुरू कर रहा है. इस शृंखला के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर में रोजगार के अवसर सृजित करने के बारे में सुझाव देने के लिए बनाई गई रंगराजन समिति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इसमें **उड़ान** के बारे में लेख भी शामिल होंगे, जो राज्य में बेरोजगारों के लिए शुरू की गई एक बेजोड़ परियोजना है. शृंखला के अंतर्गत पर्यटन, आवभगत, हस्तशिल्प, सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं और बीपीओ जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कौशल उन्नयन संबंधी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की भी जानकारी दी जाएगी.

(मुख्य संपादक)